

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *138
उत्तर देने की तारीख: 09.12.2024

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया

*138. श्री अब्दुल वहाब:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में, देश में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का वर्षवार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है;
- (घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वक्फ संपत्ति को गंवाने का कोई मामला वक्फ परिषद के संज्ञान में आया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि हां, तो वक्फ संपत्तियों पर चल रहे मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रिजिजू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया’ के संबंध में श्री अब्दुल वहाब द्वारा दिनांक 09.12.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड): WAMSI (भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों (SWBs) द्वारा पोर्टल पर 8,72,352 अचल वक्फ संपत्तियों को दर्ज किया गया है, और 3,56,060 दस्तावेजों में से 3,30,008 वक्फ संपदाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। अचल वक्फ संपत्तियों और डिजिटल किए गए दस्तावेजों का SWB-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) का हिस्सा है जिसका कार्य प्रगति पर है और योजना के दिशानिर्देश के अनुसार 2025-26 तक जारी रहेगा।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) के पास निहित है और एसडब्ल्यूबी को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा WAMSI पोर्टल पर दर्ज की गई उपलब्ध जानकारी में पिछले तीन वर्षों में खोई गई वक्फ संपत्तियों के बारे में कोई विवरण शामिल नहीं है।

'वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया' के संबंध में श्री अब्दुल वहाब द्वारा दिनांक 09.12.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

WAMSI (भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर डिजिटलीकरण किए गए अचल वक्फ संपत्तियों और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड का नाम	पंजीकृत अचल संपत्तियां	डिजिटलीकृत वक्फ परिसंपत्तियों के दस्तावेज़
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	151	84
2.	आंध्र प्रदेश	14685	3546
3.	असम	2654	1554
4.	बिहार राज्य (शिया)	1750	287
5.	बिहार राज्य (सुन्नी)	6867	2651
6.	चंडीगढ़	34	33
7.	छत्तीसगढ़	4230	794
8.	दादरा एवं नगर हवेली	30	28
9.	दिल्ली	1047	1964
10.	गुजरात	39940	11683
11.	हरियाणा	23267	12560
12.	हिमाचल प्रदेश	5343	740
13.	जम्मू और कश्मीर	32533	13
14.	झारखंड	698	144
15.	कर्नाटक	62830	32844
16.	केरल	53297	11203
17.	लक्षद्वीप	896	341
18.	मध्य प्रदेश	33472	14960
19.	महाराष्ट्र	36701	9387
20.	मणिपुर	999	933
21.	मेघालय	58	43
22.	ओडिशा	10314	3773
23.	पुदुचेरी	693	45
24.	पंजाब	75965	24555
25.	राजस्थान	30895	18946
26.	तमिलनाडु	66092	7454
27.	तेलंगाना	45682	32157
28.	त्रिपुरा	2814	1899
29.	उत्तर प्रदेश (शिया)	15386	3102
30.	उत्तर प्रदेश (सुन्नी)	217161	123233
31.	उत्तराखंड	5388	2071
32.	पश्चिम बंगाल	80480	6981
	कुल योग	872352	330008